भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 825

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मार्च, 2015 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों की आवश्यकता</u>

825. श्री धीरज प्रसाद साहू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कारपोरेट और अन्य क्षेत्रों से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रशिक्षित व्यावसायिकों की भारी मांग का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारंभ किया है या प्रारंभ करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन स्थापित एक निकाय, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा कारपोरेट सामजिक दायित्व हेतु चलाए जा रहे समर्थन कार्यक्रमों ने प्रशिक्षित सीएसआर व्यावसायिकों की आवश्यकता स्पष्ट की है, जो कंपनियों को उनकी सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मदद कर सकें। तदनुसार, आईआईसीए ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यावसायिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व में आईआईसीए प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (आईसीपी)' शुरू किया है। इस कार्यक्रम की अवधि नौ माह है जिसमें मुख्यत: ऑनलाइन अध्ययन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यक्रम का प्रथम सत्र 13 अक्तूबर, 2014 को शुरू किया गया।

*****